न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा जिला राजसमंद

(पिठासीन अधिकारीः– मनसुख राम डामोर , आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :–01/2021 अपील
दायर दिनांक :– 13/01/2021
निर्णय दिनांक :– 28/01/2021

अनवान

1. नारायण पिता सुडाजी जाति सालवी निवासी डूमखेड़ा महासतियों की मादड़ी तहसील राजसमन्द

अपीलांट

बनाम

1. ग्राम पंचायत रेलमगरा, जरिये सरपंच, ग्राम पंचायत, रेलमगरा

रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध ना.क.स. 4998 दिनांक 09/10/2020

: : निर्णय : :

अपीलांट की और से जरिये अधिवक्ता अपील अपीलांट विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 4998 दिनांक 09.10.2020 के प्रस्तुत की गई कि ग्राम रेलमगरा तहसील रेलमगरा के आ.सं.4526/2218 रकबा 0.2092 स्थित है। अपील की पैरा संख्या 01 में वर्णित आराजी शान्तिलाल पिता गणेश भांभी के खातेदारी हक से दर्ज थी जिससे अपीलान्ट ने दिनांक 15/04/2019 के जरिये पंजिकृत विक्रय पत्र से क्रय की किन्तु अपीलान्ट का विक्रय पत्र में टंकण त्रुटि के कारण अपीलान्ट के पिता का नाम व पता तथा आधार कार्ड नम्बर त्रुटिपूर्ण अंकित हो गया जिसकी जानकारी होते ही अपीलान्ट ने दिनांक 28/05/2019 को शुद्वीपत्र निष्पादित कराया था जिसकी फोटोप्रतियॉ अपील के साथ प्रस्तुत की जा रही है। विक्रयपत्र में अपीलान्ट का केवल मात्र नाम ही सही अंकित हुआ था शेष पिता का नाम व अन्य पता टंकण त्रुटि से गलत अंकित हो गया एवं अपीलान्ट ने विक्रयपत्र एवं शुद्वीपत्र दोनों ही रेस्पोडेन्ट के यहॉ नामान्तरण निर्णित करने बाबत् प्रस्तुत किये गये। किन्तु रेस्पोडेन्ट ने केवल मात्र विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरण भरकर निर्णित कर दिया गया जिससे व्यथित होकर उचित अपील प्रस्तुत की जा रही है रेस्पोडेन्ट ने सम्पूर्ण दस्तावेजों के देखे बिना निर्णित किया गया जो अपास्त होने योग्य है तथाकथित नामान्तरणकरण दिनांक 23/10/2020 को उपसरपंच के जरिये निर्णित किया गया जिससे भी नामान्तरण अपास्त होने योग्य है।अपीलान्ट के उक्त प्रकार से गलत रूप से नामान्तरणकरण निर्णित करने से

सहायक कलक्टर
(उप खण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

अपीलान्ट सम्पूर्ण रूप से उपयोग–उपभोग नहीं कर पा रहा है रेस्पोडेन्ट सम्पूर्ण दस्तावेज के देखे बिना नामान्तरणकरण निर्णित किया जो अपास्त होने योग्य है।उक्त नामान्तरणकरण ग्राम पंचायत, रेलमगरा द्वारा निर्णित करने से उक्त अपील का श्रवणाधिकार एवं क्षैत्राधिकार न्यायालय आपको है। अपीलान्ट को उक्त तथ्य की जानकारी होते ही उसके द्वारा सम्बिन्धित दस्तावेज प्राप्त होने से उसके पश्चात् अपीलान्ट के बिमार हो जाने से विहित अवधि में अपील प्रस्तुत नहीं की जा सकी जिसके लिये प्रथृक से धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा हैं। उक्त अपील पेश करने में अपीलान्ट के द्वारा कोई लापरवाही नहीं बरती गई है। अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि अपील अपीलान्ट की स्वीकार फरमायी जाकर नामान्तरणकरण संख्या 4998 निर्णय दिनांक 09/10/2020 को अपास्त किया जाकर अपीलान्ट का शुद्वीपत्र अनुसार नारायणलाल पिता सुडा जाति सालवी निवासी दुलखेड़ा महासतियों की मादड़ी तहसील राजसमन्द निर्णय किया जाने का आदेश प्रदान किया जावें।

इस पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई रेस्पोडेण्ट को जरिये सुचना तलब के बावजुद सुचना के अनुपस्थित रहने से एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये।

अधिवक्ता अपीलांट की बहस सुनी गई पत्रावली एवं उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर ग्राम रेलमगरा के नामान्तरण संख्या 4998 दिनांक 09.10.2020 को निरस्त किया जाकर तहसीलदार रेलमगरा को प्रतिप्रेषित किया जाकर निर्देश दिये जाते है कि पक्षकारान को सुन अपीलान्ट का पंजिकृत शुद्वीपत्र अनुसार जांच कर नये सिरे से नामान्तरण की कार्यवाही की जावे पालनार्थ तहसीलदार रेलमगरा को लिखा जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें।

निर्णय आज दिनांक 28.01.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(मनसुख राम डामोर)
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा